

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

:: कार्य विभाजन आदेश ::

क्रमांक-35 (एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 20/04/2026

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0) सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 194, 381 (2) और धारा 400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिष्ठित (सुपरसेशन) करते हुए, इस न्यायिक जिला सागर में पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के समस्त न्यायाधीशों के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों का तथा अन्य न्यायाधीशों के मध्य सिविल कार्य का विभाजन निम्नानुसार करता हूं। यह आदेश दिनांक-21.04.2026 से प्रभावशील होगा, परन्तु इस कार्य विभाजन के प्रभावशील होने के पूर्व, जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित है या प्रस्तुत हुआ है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क (1)	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है। (04)
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर (श्री महेश कुमार शर्मा)	सत्र खण्ड सागर	<u>आपराधिक प्रकरण</u> - सत्र खण्ड सागर से उत्पन्न समस्त प्रकार के सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र - धारा 448 एवं 449 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन आवेदन पत्र 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र - मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्रकरण - सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रकरण - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं 2015 से उद्भूत अपील प्रकरण - ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सागर के आदेशों से उत्पन्न अपील। (ग्राम न्यायालय-खुरई को छोड़कर) - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित समस्त निर्णय/आदेशों से उत्पन्न अपीलें। - ऐसे अन्य समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारित हों एवं जिनका उल्लेख कार्य-विभाजन पत्रक में ना हो। <u>व्यवहार प्रकरण</u> - नियमित सिविल वाद प्रकरण जो रुपये 75,00,000.00/- अंकन रुपये पचहत्तर करोड़ से अधिक मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां तहसील खुरई, बीना, रहली, बंडा, देवरी, गढाकोटा, शाहगढ़, केसली एवं मालथौन को छोड़कर - पुलिस आरक्षी केन्द्र सुरखी, मोतीनगर, केन्टोन्मेंट, मकरोनिया, राहतगढ़, बहेरिया एवं सानौधा के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां। - न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण - मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा

			मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें 14. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 307 उपधारा (5) के अंतर्गत याचिकायें। 15. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (तहसील खुरई, बीना, रहली, बण्डा देवरी, गढ़ाकोटा, शाहगढ़, केसली, मालथौन तथा परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) 16. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (तहसील खुरई, बीना, रहली, बण्डा देवरी, गढ़ाकोटा, शाहगढ़, केसली, मालथौन तथा परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) 17. जिला मुख्यालय सागर से संबंधित बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें 18. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलें 19. मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहियां 20. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अधीन अपीलें एवं छावनी निर्वाचन नियम, 2007 के नियम 55 के अधीन निर्वाचन अर्जी। 21. धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1906 के अधीन आवेदन पत्र 22. अन्य किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सभी प्रकरण (जिला न्यायाधीश स्तर के सुनवायी योग्य), जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में ना हो तथा अन्य ऐसे प्रकरण जिनकी सुनवाई की अधिकारिता जिला न्यायाधीश अथवा अपर सत्र न्यायाधीश को हो और उनके बारे में कार्यविभाजन आदेश में कार्य आबंटित न किया गया हो।
1.	विशेष न्यायाधीश सागर अंतर्गत एस.सी./एस. टी. एक्ट श्री विवेक सिंह रघुवंशी	सत्र खण्ड सागर	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. संपूर्ण सत्र खण्ड सागर के संबंधित एस.सी./एस.टी. एक्ट, 1989 के अंतर्गत समस्त विशेष प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र। नोट—जमानत एवं रिमाण्ड सीधे (विशेष न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत) प्रस्तुत होकर उनके यहां पंजीबद्ध किये जावेंगे। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
2.	विशेष न्यायाधीश सागर अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर, प्रथम अति.सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्री शहाबुद्दीन हाशमी	सत्र खण्ड सागर	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. ऐसे सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र। <u>व्यवहार प्रकरण</u> 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां

			4. पूर्व पदस्थ प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां।
3.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर सुश्री समीक्षा सिंह	जिला मुख्यालय सागर	आपराधिक प्रकरण 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. जिला मुख्यालय से उद्भूत होने वाले रेप, गैंग रेप, रेप विद मर्डर एवं उससे संबंधित अन्य प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व्यवहार प्रकरण 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 4. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 5,00,00,001/- अंकन पांच करोड़ एक रुपये से 50,00,0,000/- रुपये पचास करोड़ रुपये मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 5. पुलिस आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं जीआरपी सागर के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. न्यायालय सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण 7. प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां (न्यायालय रिक्त होने तक)। 8. म०प्र० पब्लिक ट्रस्ट एक्ट से संबंधित रुपये 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ से अधिक के प्रकरण 9. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- अंकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।
4.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री अनिल साहू	सत्र खण्ड सागर	आपराधिक प्रकरण 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। व्यवहार प्रकरण 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 3. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 1,50,00,001/- अंकन एक करोड़ पचास लाख एक रुपये से 2,00,00,000/- रुपये दो करोड़ रुपये मूल्य तक के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 4. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन

			कार्यवाहियां 5. तहसील सागर से उत्पन्न भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश। 6. न्यायालय चतुर्थ जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा (सिविल व आपराधिक) प्रकरणों (विशेष प्रकरण पॉक्सो एक्ट को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां।
5.	विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं चतुर्थ अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्रीमति नेहा श्रीवास्तव	जिला मुख्यालय सागर	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर की अधिसूचना क्रं सी/281/।।।-6-5/2010 (एफ.टी.एस.सी.एस) सी.एस. एस. जबलपुर दिनांक 16.01.2025 के अनुक्रम में जिला मुख्यालय सागर से उद्भूत होने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत रिमाण्ड स्तर से समस्त कार्यवाहियां जमानत याचिका सहित। 3. सम्पूर्ण सत्र खण्ड सागर से उद्भूत एससी/ एसटी (पी०ए०) एक्ट 1989 के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2021 के सभी विशेष मामले व उनसे संबंधित रिमाण्ड स्तर से समस्त कार्यवाहियां जमानत याचिका सहित। 4. समस्त रिक्त न्यायालय, पॉक्सो एक्ट सागर द्वारा निराकृत विशेष सत्र प्रकरण से संबंधित अपील न्यायालय से प्राप्त होने वाले आदेश एवं उनसे संबंधित समस्त अनुशांगिक कार्यवाहियां <u>व्यवहार प्रकरण</u> 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां
6.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं पंचम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर डॉ० सुधांशु सक्सेना	जिला मुख्यालय सागर	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। <u>व्यवहार प्रकरण</u> 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 3. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 1,00,00,001/- अंकन एक करोड़ एक रुपये से 1,50,00,000/- रुपये एक करोड़ पचास लाख रुपये मूल्य तक के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 4. पुलिस आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. न्यायालय पंचम एवं षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर तथा मुख्यालय सागर में पदस्थ प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश एवं पूर्व में पदस्थ रहे प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली

			नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण 6. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें 7. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 8. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 9. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 10. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां 11. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण। 12. तहसील सागर से संबंधित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण 13. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण
7.	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं षष्ठम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री दिलीप सिंह परमार	जिला मुख्यालय सागर	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। <u>व्यवहार प्रकरण</u> 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 3. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 2,00,00,001/- अंकन दो करोड़ एक रुपये से 2,50,00,000/- रुपये ढाई करोड़ रुपये मूल्य तक के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 4. विधि विभाग भोपाल की अधिसूचना अनुसार सिविल जिला सागर के लिये विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 20-बी के अधीन सिविल जिला सागर से संबंधित रुपये 1 करोड़ से अधिक के समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 5. फास्ट ट्रेक न्यायालय सागर एवं ऐसे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय एवं प्रशिक्षु जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जो कि पूर्व में कार्यरत थे, के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन, क्लेम राशि भुगतान संबंधी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निराकृत होकर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में पारित आदेशों का पालन कार्यवाहियां।
8.	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सप्तम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री समरेश सिंह	जिला मुख्यालय सागर	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक सी/1336 जबलपुर दिनांक 21.03.2017 के अनुक्रम में जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों से संबंधित प्रकरण।

			<u>व्यवहार प्रकरण</u> 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 4. पुलिस आरक्षी केन्द्र गोपालगंज के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण
9.	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अष्टम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर डॉ. वैभव विकास शर्मा	जिला मुख्यालय सागर	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण <u>व्यवहार प्रकरण</u> 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 4. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 2,50,00,001/- अंकन ढाई करोड़ एक रुपये से 5,00,00,000/- रुपये पांच करोड़ रुपये मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां एवं नियमित व्यवहार वाद प्रकरण जो 50,00,00,001/- अंकन पचास करोड़ एक रुपये से 75,00,00,01/- रुपये पचहत्तर करोड़ रुपये मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 5. पुलिस आरक्षी केन्द्र जैसीनगर के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. न्यायालय प्रथम एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर एवं समस्त रिक्त न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण 7. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें 8. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण 9. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।
10.	नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं नवम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री राजेश सिंह	सत्र खण्ड सागर	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। <u>व्यवहार प्रकरण</u> 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 3. पुलिस आरक्षी केन्द्र नरयावली के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां।
11.	विशेष न्यायाधीश क्रं 10 सागर अंतर्गत विद्युत	जिला मुख्यालय	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध

	अधिनियम, एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री उत्तम कुमार डार्वी	सागर	दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सागर से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां <u>व्यवहार प्रकरण</u> 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां
12.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बंडा एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बंडा श्री रामलाल शाक्य	तहसील बण्डा एवं शाहगढ़	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें। 3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बंडा के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण 4. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील बंडा क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां 5. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण 6. आरक्षी केन्द्र बण्डा से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023। <u>व्यवहार प्रकरण</u> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 2. तहसील बंडा से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000,00/- से 2,00,000,00/- तक अंकन एक करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये तक का हो तथा उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. तहसील क्षेत्र शाहगढ़ क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 4. तहसील क्षेत्र बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के सुनवायी योग्य समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
13.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बंडा के न्यायालय के अति० न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बण्डा श्री आशीष परसाई	तहसील बण्डा एवं शाहगढ़	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शृंखला न्यायालय शाहगढ़ के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण 3. तहसील क्षेत्र शाहगढ़ से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक

सुरक्षा संहिता, 2023

व्यवहार प्रकरण

4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां
5. तहसील बंडा से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 2,00,000,00 /— अंकन दो करोड़ रुपये से अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां
6. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बण्डा एवं श्रृंखला न्यायालय शाहगढ द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण
7. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां
8. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण
9. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें
10. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण
11. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500 /—अंकन पांच सौ रुपये से 1000 /— अंकन एक हजार तक का हो।
12. पुलिस आरक्षी केन्द्र बंडा क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।
13. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।
14. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।
15. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।
16. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)
17. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण
18. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न, तहसील बण्डा एवं शाहगढ क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
19. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000 /— अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण
20. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।
21. नगर दण्डाधिकारी बंडा के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 133, 149, 145 एवं 151 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें।
22. तहसील बंडा से उत्पन्न मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहियां

			23. प्रोबेट पिटीशन से संबंधित मामले। 24. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें 25. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश।
14.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खुरई	तहसील खुरई एवं मालथौन	रिक्त न्यायालय
15.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खुरई श्री शोएब खान	तहसील खुरई एवं मालथौन	आपराधिक प्रकरण 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मालथौन (वर्तमान व पूर्व श्रृंखला न्यायालय में पदस्थ) के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण 3. आरक्षी केन्द्र खुरई, मालथौन, बांदरी एवं फॉरेस्ट एक्ट से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)। 4. तहसील खुरई से उत्पन्न विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित प्रकरण (माननीय उच्च न्यायालय से अधिसूचित होने के उपरांत) 5. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण 6. नगर दण्डाधिकारी खुरई के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126, 135, 152, 168, 164 एवं 170 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें। व्यवहार प्रकरण 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 8. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000,00/- अंकन पांच करोड़ रुपये से अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 9. पुलिस आरक्षी केन्द्र खिमलासा एवं मालथौन थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 10. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मालथौन (वर्तमान व पूर्व श्रृंखला न्यायालय में पदस्थ) के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील प्रकरण 11. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 12. मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं

			26 के अधीन कार्यवाहियां 13. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश 14. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) 15. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 16. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 17. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 18. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां 19. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण एवं प्रोबेट पिटीशन 20. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) 21. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण 22. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें। 23. समस्त रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों से संबंधित कार्य। 24. तहसील क्षेत्र खुरई एवं मालथौन से संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के सुनवायी योग्य समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
16.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खुरई श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव	तहसील खुरई एवं मालथौन	आपराधिक प्रकरण 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. तहसील खुरई एवं मालथौन से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें। 3. आरक्षी केन्द्र खिमलासा से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023। 4. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मालथौन (वर्तमान व पूर्व श्रृंखला न्यायालय में पदस्थ) के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण व्यवहार प्रकरण 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 6. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन रुपये 1,00,000.01/- एक करोड़ एक रुपये से 5,00,000.00/- अंकन पांच करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न

			विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 7. पुलिस आरक्षी केन्द्र खुरई एवं बांदरी थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 8. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खुरई एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मालथौन (वर्तमान व पूर्व श्रृंखला न्यायालय में पदस्थ) के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील प्रकरण 9. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण 10. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां। 11. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- रुपये से कम हो। 12. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें।
17.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बीना (श्री देवेन्द्र कुमार कुंडू)	तहसील बीना	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. तहसील बीना से उत्पन्न विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित प्रकरण (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से) 3. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण। 4. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी, बीना के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त अपीलें व पुनरीक्षण याचिका 5. आरक्षी केन्द्र भानगढ़ एवं आगासौद से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित मामलों को छोड़कर) 6. पूर्व पदस्थ, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बीना (रिक्त न्यायालय) के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियों से संबंधित समस्त कार्य। <u>व्यवहार प्रकरण</u> 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 8. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन रुपये 1,00,000,01/- एक करोड़ एक रुपये से 25,00,000,00/- अंकन पच्चीस करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 9. पुलिस आरक्षी केन्द्र भानगढ़ थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 10. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ

			खण्ड, बीना द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण
18.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बीना (श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-2))	तहसील बीना	<u>आपराधिक प्रकरण</u> - सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। - तहसील बीना से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें। - समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी बीना के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त अपीलें व पुनरीक्षण याचिका - आरक्षी केन्द्र बीना एवं जी.आर.पी. बीना से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 <u>व्यवहार प्रकरण</u> - प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां - सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 25,00,000.01/- अंकन पच्चीस करोड़ एक रुपये से अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां - समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बीना द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण - पुलिस आरक्षी केन्द्र बीना, जी.आर.पी. बीना एवं आगासौद थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। - मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां - भाडा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण - म०प्र० नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण - लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- अंकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो। - हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) - भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) - हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। - हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन

			उत्पन्न प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 18. प्रोबेट पिटीशन से संबंधित मामले। 19. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण 20. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण 21. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें 22. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां 23. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें 24. तहसील बीना से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण 25. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां। 26. नगर दण्डाधिकारी बीना के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें। 27. तहसील बीना से उत्पन्न म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां। 28. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश। 29. तहसील क्षेत्र बीना से संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के सुनवायी योग्य समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
19.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवरी	तहसील देवरी एवं केसली	रिक्त न्यायालय
20.	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवरी श्री अनिल कुमार करोरिया	तहसील देवरी एवं केसली	आपराधिक प्रकरण 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पुलिस आरक्षी केन्द्र देवरी, गौरझामर, केसली एवं महाराजपुर से उत्पन्न सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 3. तहसील देवरी एवं केसली से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें। 4. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण 5. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी देवरी व केसली के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त अपीलें व पुनरीक्षण याचिका 6. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील देवरी क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व्यवहार प्रकरण

		7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 8. रुपये 10000001/- अंकन एक करोड़ एक रुपये एवं उससे अधिक के सिविल वाद प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 9. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड देवरी के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त नियमित एवं विविध अपीलें 10. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 11. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण 12. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण 13. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें। 14. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/-अंकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो। 15. थाना देवरी, केसली, महाराजपुर एवं गौरझामर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 16. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण। 17. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां। 18. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक का हो। 19. नगर दण्डाधिकारी देवरी के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें। 20. तहसील देवरी से उत्पन्न म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां। 21. तहसील क्षेत्र देवरी से संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के सुनवायी योग्य समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों। 22. उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण। 23. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)। 24. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 25. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 26. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 27. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)। 28. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से
--	--	--

			195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां। 29. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण। 30. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें। 31. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश। 32. पूर्व पदस्थ समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी (रिक्त न्यायालय) के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियों से संबंधित समस्त कार्य। 33. तहसील क्षेत्र देवरी व केसली से संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के सुनवायी योग्य समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
21.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रहली श्री दिनेश देवड़ा	तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा	आपराधिक प्रकरण 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें। 3. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तहसील रहली द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका। 4. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां 5. पुलिस आरक्षी केन्द्र रहली थाना क्षेत्र से उत्पन्न सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 । व्यवहार प्रकरण 6. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 7. तहसील रहली से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000,01/- अंकन एक करोड़ एक रुपये से 2,00,000,00/- अंकन दो करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 8. पुलिस आरक्षी केन्द्र रहली थाना क्षेत्र से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 9. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तहसील रहली के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें 10. भाडा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण 11. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण 12. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/-अंकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो। 13. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।

			14. नगर दण्डाधिकारी रहली के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें। 15. तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से उत्पन्न म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां 16. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें 17. प्रोबेट पिटीशन से संबंधित मामले 18. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 307 उपधारा (5) के अंतर्गत याचिकायें। 19. तहसील क्षेत्र रहली व गढ़ाकोटा से संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के सुनवायी योग्य समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
22.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रहली (श्री उमेश कुमार पटैल)	तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा	आपराधिक प्रकरण 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका 3. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण 4. पुलिस आरक्षी केन्द्र गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र से उत्पन्न सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर) व्यवहार प्रकरण 5. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 6. तहसील रहली से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 2,00,000.01/- अंकन दो करोड़ एक रुपये या उससे अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 7. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 8. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें 9. पुलिस आरक्षी केन्द्र गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 10. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न, तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) 11. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 12. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।

			13. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 14. तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण 15. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण 16. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) 17. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण 18. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश। 19. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण रहली के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों से संबंधित कार्य
23.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खण्ड सागर (श्रीमति नेहा बंसल)	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
24.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर/न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर श्री प्रीतम बंसल	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 25,00,001/- अंकन पच्चीस लाख एक रुपये से 100,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. ग्राम न्यायालय सागर से संबंधित समस्त प्रकरण 4. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक हो।
25.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	रिक्त न्यायालय
26.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	रिक्त न्यायालय
27.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर श्री अमित सिंह धुर्वे	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
28.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर श्रीमती सौम्या गौड़ पालीवाल	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
29.	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर श्री रोहित शर्मा	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 25,00,000/- अंकन पच्चीस लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसी समस्त कार्यवाहियां जिनके लिये किसी भी अन्य व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना

			किया गया हो। 4. पूर्व में पदस्थ रहे एवं स्थानांतरित हो गये समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर (समस्त रिक्त न्यायालय) द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण
30.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर सुश्री शिखा चतुर्वेदी	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. माह अप्रैल-मई-जून-जुलाई 2026 में प्रस्तुत होने वाले रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 3. मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुनर्स्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 4. समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर एवं समस्त रिक्त प्रशिक्षु न्यायालय सागर के न्यायालय के निर्णीतशुदा प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 5. ऐसी सिविल कार्यवाहियां जिनके विचारण हेतु अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।
31.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	<u>रिक्त न्यायालय</u>
32.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	<u>रिक्त न्यायालय</u>
33.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर श्रीमति खुशबू दांगी	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. माह अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर 2026 में प्रस्तुत होने वाले रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।
34.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	<u>रिक्त न्यायालय</u>
35.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर सुश्री वीणा अग्निहोत्री	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
36.	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	<u>रिक्त न्यायालय</u>
37.	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. माह नवम्बर-दिसम्बर 2026 एवं जनवरी 2027 में प्रस्तुत होने वाले रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। (उक्त क्षेत्राधिकार की अवधि के संबंध में अन्य कार्यविभाजन आदेश जारी न होने की दशा में उक्त

			क्षेत्राधिकार आगामी अवधि के लिए इसी न्यायालय को निरंतर जारी रहेगा।) 3. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 4. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 5. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण
38.	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर (श्रीमती हितैषी भदौरिया)	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
39.	दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर (श्री हिमांशु पालीवाल)	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
40.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राहतगढ़ (श्री हिमांशु पालीवाल)	जिला मुख्यालय सागर एवं राहतगढ़	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. तहसील क्षेत्र राहतगढ़ से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- अंकन एक रुपये से 5,000,00/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 3. तहसील राहतगढ़ से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 4. श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़ से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों। 5. श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़ द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां
41.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा (श्रीमती कंचन देव शिवहरे)	तहसील मुख्यालय बण्डा एवं शाहगढ़	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित माह मई-जून-जुलाई 2026 में प्रस्तुत होने वाले ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये 01/- अंकन एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. तहसील बण्डा से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 4. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 5. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 6. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 7. पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बण्डा के न्यायालय जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां।

			8. तहसील बण्डा से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों। कालम क्रमांक 7 एवं 8 में वर्णित उक्त कार्य संबंधी आदेश 4 मई 2026 से प्रभावशील होगा। इससे पूर्व तक उक्त कार्य श्रीमती संध्या मुदगल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बण्डा के द्वारा संपादित किया जावेगा।
42.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा (श्री आशीष कुमार माथौरिया)	तहसील मुख्यालय बण्डा एवं शाहगढ़	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 6. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित माह अगस्त 2026 से लेकर दिसम्बर 2026 में प्रस्तुत होने वाले ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये 01/- अंकन एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (उक्त क्षेत्राधिकार की अवधि के संबंध में अन्य कार्यविभाजन आदेश जारी न होने की दशा में उक्त क्षेत्राधिकार आगामी अवधि के लिए इसी न्यायालय को निरंतर जारी रहेगा।) 2. पूर्व में पदस्थ रहे ऐसे समस्त न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा के न्यायालय, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण। 4. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो। 5. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण 6. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण।
43.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बण्डा (सुश्री संध्या मुदगल)	तहसील मुख्यालय बण्डा	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
44.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शाहगढ़ जिला सागर (श्री मानवेन्द्र सिंह)	तहसील मुख्यालय शाहगढ़	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 4. तहसील शाहगढ़ से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुनर्स्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 5. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 6. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 7. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ

			खण्ड/वरिष्ठ खण्ड शाहगढ़ (कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य प्रकरण) (श्रृंखला न्यायालय सहित), जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 2. तहसील क्षेत्र शाहगढ़ से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
45.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बीना (श्रीमति मीनाक्षी शर्मा जोशी)	तहसील मुख्यालय बीना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंक पांच लाख एक रुपये से 50,00,000/- अंकन पचास लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण 4. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो 5. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण 6. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के 7. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।
46.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बीना (श्री शरद जोशी)	तहसील मुख्यालय बीना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील मुख्यालय बीना में पूर्व पदस्थ (रिक्त न्यायालय) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बीना के न्यायालय से उत्पन्न होने वाली समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 3. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 50,00,001/- अंकन पचास लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 4. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बीना द्वारा विचारणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।
47.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना जिला सागर (श्री मृदुल जैन)	तहसील बीना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 4. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 5. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 6. तहसील बीना से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने

			वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 7. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/प्रशिक्षु न्यायाधीश बीना, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, (रिक्त न्यायालय) द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 8. तहसील क्षेत्र बीना से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
48.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना जिला सागर (श्रीमती सलोनी जैन)	तहसील बीना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
49.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवरी (सुश्री निकिता चौहान)	तहसील मुख्यालय देवरी एवं केसली	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील देवरी एवं केसली से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण 4. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो 5. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण 6. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के 7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।
50.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी श्री दीपू शाक्य	तहसील मुख्यालय देवरी	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील देवरी ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 01/- अंकन एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 4. तहसील देवरी से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुनर्स्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 5. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग के लिये अधिकृत ना किया गया हो।
51.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड केसली श्री कुलदीप नामदेव	तहसील मुख्यालय केसली	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक

			के मूल्यांकन के प्रकरण - पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड केसली (शृंखला न्यायालय सहित), जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां - तहसील केसली से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। - म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। - दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। - व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी न्यायालय के लिये अधिकृत ना किया गया हो।
52.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रहली श्री नितिन वर्मा	तहसील मुख्यालय रहली एवं गढ़ाकोटा	- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। - तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से संबंधित रुपये 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से रुपये 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां - भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण - भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो - म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण - लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के - व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी न्यायाधीश के लिये अधिकृत ना किया गया हो। - पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (रिक्त न्यायालय) के न्यायालय से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां।
53.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रहली श्री शुभम गुप्ता	तहसील मुख्यालय रहली	- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। - रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां - लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण - तहसील रहली से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। - म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।

			6. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 7. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी न्यायालय के लिये अधिकृत ना किया गया हो। 8. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रहली, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां
54.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा	तहसील मुख्यालय गढ़ाकोटा	रिक्त न्यायालय
55.	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा श्री अम्बर श्रीवास्तव	तहसील मुख्यालय गढ़ाकोटा	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 4. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1/- अंकन एक रुपये से लेकर रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के प्रकरण 5. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- अंकन एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो 6. तहसील गढ़ाकोटा से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 7. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण
56.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई/न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय खुरई श्रीमति चेतना दीक्षित	तहसील मुख्यालय खुरई	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील खुरई से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 50,00,001/- अंकन पचास लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. ग्राम न्यायालय अधिनियम, से संबंधित प्रकरण तहसील खुरई 4. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो 5. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण 6. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन तक का हो
57.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई सुश्री प्रथा श्रीवास्तव	तहसील मुख्यालय खुरई	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील खुरई से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 15,00,001/- अंकन पन्द्रह लाख एक रुपये से 50,00,000/- अंकन पचास लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां । 3. तहसील खुरई में पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश

			वरिष्ठ खण्ड खुरई द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां
58.	द्वितीय अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई (श्री प्रतीक सिंह तोमर)	तहसील मुख्यालय खुरई	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 15,00,000/- अंकन पन्द्रह लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण
59.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई (श्रीमती प्राची समाधिया)	तहसील मुख्यालय खुरई	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 4. मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 5. म०प्र० लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 6. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 7. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी न्यायालय के लिये अधिकृत ना किया गया हो। 8. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। उक्त कार्यविभाजन संबंधी आदेश पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्राची समाधिया के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा।
60.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मालथौन श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार	तहसील मुख्यालय मालथौन	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील मालथौन से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण 4. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो 5. म०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण 6. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये

			से रुपये 500 /— अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के 7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो। 8. पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मालथौन व श्रृंखला न्यायालय मालथौन द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां
61.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मालथौन के प्रथम अति० न्यायाधीश सुश्री गौरी सक्सेना,	तहसील मुख्यालय मालथौन	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
62.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मालथौन के द्वितीय अति० न्यायाधीश श्री ध्रुव अग्रवाल	तहसील मुख्यालय मालथौन	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील मालथौन से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 01 /— अंकन एक रुपये से 5,00,000 /— अंकन पांच लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. तहसील मालथौन से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 4. लघुवाद प्रकरण रुपये 200 /— अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 5. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 01 /— अंकन एक रुपये से 5,000,00 /— अंकन पांच लाख रुपये तक का हो 6. म०प्र० लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1 /— अंकन एक रुपये से लेकर रुपये 5,00,000 /— अंकन पांच लाख रुपये तक के प्रकरण 7. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो। 8. पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मालथौन व श्रृंखला न्यायालय मालथौन द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां

नोट—

1. पंजीयन अनुभाग में पंजीयन उपरांत संबंधित प्रकरण, इस कार्य विभाजन के आदेशानुसार संबंधित न्यायालय को स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
2. इस कार्य विभाजन पत्रक का पूर्व से लंबित दावे के श्रवणाधिकार के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् उक्त मामले यथावत् जिस न्यायालय में लंबित हैं, उसी न्यायालय में ही विचारित किये जावेंगे।
3. इस कार्य विभाजन पत्रक का न्यायाधीशों के वरिष्ठता कम पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
4. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड को कार्य विभाजन का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर रहेगा।
5. न्यायालय चतुर्थ जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से (विशेष प्रकरण पॉक्सो एक्ट को छोड़कर) उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां न्यायालय तृतीय जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय में संस्थापित होकर निराकृत की जावेंगी।
6. फास्ट ट्रेक न्यायालय सागर एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय सागर के पूर्व पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय जो (वर्तमान में रिक्त न्यायालय) हैं जिनके संबंध में मूल कार्यविभाजन पत्रक में स्पष्ट उल्लेख किया गया है को छोड़कर, उक्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा निराकृत सत्र प्रकरणों, व अपील प्रकरणों

से संबंधित एवं उनसे संबंधित सभी अनुशांगिक कार्यवाही षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा संपादित की जावेगी एवं उनके अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में उनके प्रभार रखने वाले न्यायालय द्वारा संपादित की जावेगी।

7. संपूर्ण जिला स्थापना सागर पर यदि कोई न्यायालय रिक्त होता है और उस रिक्त न्यायालय का प्रभार किसी अन्य न्यायालय को कार्यविभाजन पत्रक में नहीं दिया गया है, तो उक्त रिक्त न्यायालय का प्रभार उसी स्तर के (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड) उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी. एक्ट सागर को छोड़कर) के न्यायालय को होगा।
8. यदि किसी रिक्त न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण में आरोपी फरार होकर पुनः गिरफ्तार कर प्रभार वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उससे संबंधित पुनर्स्थापित सत्र प्रकरण प्रभार रखने वाले न्यायालय में अंतरित हुआ समझा जावेगा एवं उक्त न्यायालय ऐसे प्रकरण का विचारण कर सकेगा।


(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

1952

पृष्ठांकन क्रमांक (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 20/04/2025

1. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
2. समस्त न्यायालय, जिला स्थापना सागर।
3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर/बण्डा/बीना/देवरी/केसली/खुरई/मालथौन/शाहगढ़/रहली/गढ़कोटा/राहतगढ़।
4. केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग, जिला न्यायालय सागर।
5. निष्पादन लिपिक/प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
6. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, सागर की ओर संबंधितों की ओर ईमेल करने एवं ई-कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)
20.04.2025